मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 323-25
भोपाल, दिनांक 19/03/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/652/2015

आवेदक
मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन,
584, भागीरथपुरा,
इन्दौर 452 003 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगण:–

1. उप संचालक,
   पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग,
   पन्ना – 472 001 (म.प्र.)
2. कलेक्टर,
   पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग,
   पन्ना – 472 001 (म.प्र.)

सुनवाई दिनांक 06.02.2021

माध्यस्थम आदेश दिनांक 19-03-.2021

आवेदक द्वारा अनावेदक द्वारा दिनांक 22.03.2012 से दिनांक 13.06.2012 तक जारी 5 प्रदाय आदेशानुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिये प्रदायित सामग्री के विरूद्ध अनावेदक पर सम्पूर्ण मूलधन राशि रू. 38,29,963/– एवं इस राशि पर दिनांक 31.08.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 30,13,434/– इस प्रकार कुल राशि 68,43,397/– एवं भुगतान दिनांक तक के ब्याज राशि के भुगतान/वसूली का दावा आवेदन पत्र इस काउन्सिल के समक्ष, दिनांक 18.09.2015 को प्रस्तुत किया गया।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के समर्थन में अनावेदक द्वारा जारी प्रदाय आदेश, प्रदायित सामग्री के डिलीवरी चालान, प्रदायित सामग्री के भुगतान प्राप्ति हेतु बिल्स/इन्वाईसेस, भुगतान प्राप्ति हेतु किये गये पत्राचार, आवेदक द्वारा इकाई का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत उद्यमी ज्ञापन अभिस्वीकृति भाग–2 (Enterpreneur Memorandum Acknowledgement Part-2)एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1793–95, दिनांक 01.12.2015. से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

.....2

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया एवं न, ही कोई सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.06.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 30.05.2019, 1109.2019 एवं 06.02.201 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

अन्तिम सुनवाई सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को उभयपक्ष अनुपस्थित। आवेदक द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि, उसे उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, पन्ना से देय मूलधन राशि प्राप्त हो चुकी है। चूँकि आवेदक को मूलधन प्राप्त हो चुका है तथा सूचना उपरांत भी आज सुनवाई बैठक में आवेदक अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर, अंतिम आदेश जारी करने का निर्णय लिया। अंतिम आदेश जारी हो।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि चॅकि आवेदक को पूर्ण मूलधन राशि का भुगतान अनावेदक से प्राप्त हो चुका है। अतः प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज) 19/3/21
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।